



प्रेस नोट

थाना को0 टाण्डा,जनपद अम्बेडकरनगर

दिनांक: 27.10.2026

जनपद अम्बेडकरनगर थाना कोतवाली टाण्डा पुलिस टीम द्वारा ₹50,000/- के पुरस्कार घोषित वांछित वारंटी अभियुक्त अरविन्द वर्मा को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदया अम्बेडकरनगर सुश्री प्राची सिंह के निर्देशन में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री देवेश चतुर्वेदी (IPS) के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी टाण्डा श्री प्रदीप सिंह चन्देल के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली टाण्डा पुलिस टीम द्वारा ₹50,000 के इनामी वांछित अभियुक्त अरविन्द वर्मा को लखनऊ के गोमती नगर विस्तार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

थाना कोतवाली टाण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 29/2015, धारा 419/420/406/504/506 भादवि एवं 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट से संबंधित वाद संख्या 108/2018 में माननीय विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट के न्यायालय द्वारा जारी वारंट एवं धारा 83 सीआरपीसी से संबंधित कार्यवाही के अनुपालन में अभियुक्त अरविन्द वर्मा की तलाश की जा रही थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा ₹50,000 का इनाम घोषित किया गया था। दिनांक 26.10.2026 को थाना कोतवाली टाण्डा के उपनिरीक्षक वीरेन्द्र कुमार पाल मय हमराह पुलिसकर्मी आरक्षी उमाकान्त यादव एवं आरक्षी पिन्टू कुमार द्वारा अभियुक्त के मूल निवास ग्राम जमालापुर, थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर में तलाश की गई। वहां अभियुक्त के मौजूद न मिलने पर उसके लखनऊ के गोमती नगर विस्तार क्षेत्र स्थित 79/4 पार्क व्यू अपार्टमेंट, सेक्टर-1, ब्लॉक-A के पते पर पहुंचकर तलाश की गई।

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अरविन्द वर्मा पुत्र रमापति वर्मा को उसके आवास पर मौजूद पाए जाने पर वारंट के संबंध में अवगत कराते हुए दिनांक 26.10.2026 को रात्रि 11:40 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त की पत्नी लाली कटियार को कारण सहित दी गई। इसके अतिरिक्त स्थानीय थाना गोमती नगर विस्तार, लखनऊ में अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना दी गई। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को थाना कोतवाली टाण्डा नियमानुसार दाखिल करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अरविन्द वर्मा पुत्र रमापति वर्मा, निवासी ग्राम जमालापुर, थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर,हालपता- 79/4 पार्क व्यू अपार्टमेंट सेक्टर 1 ब्लॉक A एक्सटेंशन, थाना गोमती नगर विस्तार जनपद लखनऊ ।

संबंधित अभियोग एवं आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 29/2015, धारा 419/420/406/504/506 भादवि एवं धारा 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट, थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर।
2. मु0अ0सं0 63/2016, धारा 174ए भादवि, थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर।
3. मु0अ0सं0 180/2017, धारा 406/419/420/504/506 भादवि, थाना कोतवाली आजमगढ़, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक दीपक सिंह रघुवंशी, थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर।
2. उपनिरीक्षक वीरेन्द्र कुमार पाल, थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर।
3. आरक्षी उमाकान्त यादव, थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर।
4. आरक्षी पिंटू कुमार, थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर।



प्रेस नोट

थाना को0 टाण्डा,जनपद अम्बेडकरनगर

दिनांक: 27.10.2026

जनपद अम्बेडकरनगर थाना कोतवाली टाण्डा पुलिस टीम द्वारा ₹50,000/- के पुरस्कार घोषित वांछित वारंटी अभियुक्त अरविन्द वर्मा को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदया अम्बेडकरनगर सुश्री प्राची सिंह के निर्देशन में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री देवेश चतुर्वेदी (IPS) के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी टाण्डा श्री प्रदीप सिंह चन्देल के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली टाण्डा पुलिस टीम द्वारा ₹50,000 के इनामी वांछित अभियुक्त अरविन्द वर्मा को लखनऊ के गोमती नगर विस्तार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

थाना कोतवाली टाण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 29/2015, धारा 419/420/406/504/506 भादवि एवं 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट से संबंधित वाद संख्या 108/2018 में माननीय विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट के न्यायालय द्वारा जारी वारंट एवं धारा 83 सीआरपीसी से संबंधित कार्यवाही के अनुपालन में अभियुक्त अरविन्द वर्मा की तलाश की जा रही थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा ₹50,000 का इनाम घोषित किया गया था। दिनांक 26.10.2026 को थाना कोतवाली टाण्डा के उपनिरीक्षक वीरेन्द्र कुमार पाल मय हमराह पुलिसकर्मी आरक्षी उमाकान्त यादव एवं आरक्षी पिन्टू कुमार द्वारा अभियुक्त के मूल निवास ग्राम जमालापुर, थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर में तलाश की गई। वहां अभियुक्त के मौजूद न मिलने पर उसके लखनऊ के गोमती नगर विस्तार क्षेत्र स्थित 79/4 पार्क व्यू अपार्टमेंट, सेक्टर-1, ब्लॉक-A के पते पर पहुंचकर तलाश की गई।

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अरविन्द वर्मा पुत्र रमापति वर्मा को उसके आवास पर मौजूद पाए जाने पर वारंट के संबंध में अवगत कराते हुए दिनांक 26.10.2026 को रात्रि 11:40 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त की पत्नी लाली कटियार को कारण सहित दी गई। इसके अतिरिक्त स्थानीय थाना गोमती नगर विस्तार, लखनऊ में अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना दी गई। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को थाना कोतवाली टाण्डा नियमानुसार दाखिल करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अरविन्द वर्मा पुत्र रमापति वर्मा, निवासी ग्राम जमालापुर, थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर,हालपता- 79/4 पार्क व्यू अपार्टमेंट सेक्टर 1 ब्लॉक A एक्सटेंशन, थाना गोमती नगर विस्तार जनपद लखनऊ ।

संबंधित अभियोग एवं आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 29/2015, धारा 419/420/406/504/506 भादवि एवं धारा 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट, थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर।
2. मु0अ0सं0 63/2016, धारा 174ए भादवि, थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर।
3. मु0अ0सं0 180/2017, धारा 406/419/420/504/506 भादवि, थाना कोतवाली आजमगढ़, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक दीपक सिंह रघुवंशी, थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर।
2. उपनिरीक्षक वीरेन्द्र कुमार पाल, थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर।
3. आरक्षी उमाकान्त यादव, थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर।
4. आरक्षी पिन्टू कुमार, थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर।